



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(TO BE PUBLISHED IN PART III, SECTION 4 OF THE GAZETTE OF INDIA)

NOTIFICATION (Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/(168)/2015

Date:06/04/2015

In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haridwar, Uttrakhand with effect from 10th February,2015.

The Branch shall be known as Haridwar Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haridwar, Roorkee, Rishikesh, Kotdwar and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haridwar city limits.

Consequently, Haridwar and Roorkee in Uttrakhand which hitherto been under jurisdiction of Saharanpur Branch in Uttar Pradesh (U.P.) by virtue of notification bearing no. 1-CA(7)/48/2000 dated 07th April,2000, henceforth have been ceded from jurisdiction of Saharanpur Branch and revised jurisdiction of Saharanpur Branch will include Saharanpur and other cities/places in U.P. within a distance of 50 Km. from Saharanpur city limits. Accordingly, notification bearing no.1-CA(7)/48)2000 dated 7th April,2000 stands amended.

As prescribed under Regulation 159(3), both Haridwar and Saharanpur Branches shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

(V. Sagar)
Acting Secretary



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(भारत का राजपत्र, भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)
अधिसूचना
(चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स)

स0 1- सीए(7)/(168)/2015

दिनांक- 06-04-2015

चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक-10-02-2015 से हरिद्वार शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की हरिद्वार शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार तथा उत्तराखंड के अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे जो कि हरिद्वार शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अर्न्तगत स्थित हैं।

परिणाम स्वरूप, हरिद्वार तथा रुड़की, उत्तराखंड में जो कि अधिसूचना स01-सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के कारण अब तक सहारनपुर शाखा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आते थे, अब सहारनपुर शाखा से अलग कर दिए गये हैं तथा सहारनपुर शाखा के संशोधित क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहर/स्थान जो कि सहारनपुर शहर की शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अर्न्तगत हैं, आयेंगे। तदनुसार, अधिसूचना स01-सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 संशोधित मानी जाए।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, हरिद्वार एवं सहारनपुर शाखाएं परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव